न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —12/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/12

1. प्रशांत सिंह राठौड आत्मज कृष्ण कुमार सिंह
2. श्रीमती सीमा कंवर पत्नि प्रशांत सिंह निवासीगण मकान नं0 4—एच—16 तलवण्डी कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

कृष्णा कुमार सिंह राठौड आत्मज स्व0 पंचम सिंह निवासी मकान नं0 4—एच—16 तलवण्डी, कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 06.12.2024 प्रार्थना पत्र भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 मि0नं0 59/2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश नाथावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा लीगल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 18 .03.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर दिनांक 06.12.2024 को आदेश पारित किया है कि— "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को 6000/— मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों । उक्त आदेश की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थी उक्त परिसर में से अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है ।
2. उक्त आदेश दिनांक 06.12.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.01.2025 को पेश की गई है कि आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.12.2024 अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय संचिका में सिद्वी प्राप्त सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत जाकर पारित किया गया है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा लीगल अधिवक्ता उपस्थित है । पक्षकारान एवं वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि रेस्पोडेन्ट /प्रार्थी स्वयं आई एल कम्पनी से रिटायर्ड है, रिटायरमेंट से मिलने वाली राशि भी रेस्पोडेन्ट के बैंक में जमा है इसके अतिरिक्त उक्त मकान में 6 किरायेदार रहते है जिनसे लगभग 25,000/— मासिक किराया रेस्पोडेन्ट को प्राप्त होता है । रेस्पोडेन्ट द्वारा महावीर नगर में अपने दो प्लाटों का विक्रय किया गया है जिसकी राशि भी रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के पास ही मौजूद है तथा इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने दूसरे पुत्र पीयूष सिंह राठौड जो कि कतर में इंजीनियर के रूप में 20 लाख रूपये के वेतन के रूप में कार्यरत है के तथ्यों को अंकित नहीं किया

जिला कलेक्टर
कोटा

है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट स्वयं का भरण पोषण करने में पूर्णतयां सक्षम है जिससे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट किसी भी प्रकार की भरण पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं है । उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं के व अपनी पत्नि के बीमार होने संबंधी कोई भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में दोनों पूर्णतया स्वस्थ है तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने के कारण कोई ईलाज की आवश्यकता नहीं है । इसके विपरीत अपीलांट नं0 1 के हाथ पैरों की उंगलियों में बीमारी के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं है तथा अपीलांट नं0 2 को भी अरथमा होने के कारण अक्सर बीमार रहती है इसके बावजूद भी अपीलांटगण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नि की खाने की व्यवस्था व सेवा सुश्रुषा पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे है,इसके बावजूद भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांटगण को नाजायज परेशान करने की गरज से झूठे व मनगढंत मिथ्या तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो खारिज होने योग्य है । रेस्पोडेन्ट आये दिन अपीलांट के साथ लडाई झगडा, मारपीट, तंग व परेशान करता है, । अपीलान्ट नं0 2 उनकी पुत्रवधू होने के बावजूद भी उस पर गंदी नजर रखते है व उसके साथ अनेक बार छेडखानी कर चुके है जिससे परेशान होकर अपीलांट नं0 2 ने थाना जवाहर नगर में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई जिसका नं0 233/2024 है इसके बाद भी अपीलांटगण वर्तमान में रेस्पोडेन्ट की पूर्णरूप से सेवा सुश्रुषा करते चले आ रहे है । उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गोर नही किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट आये दिन अपीलांटगण व उनकी पुत्री अनवी को घर से निकालने की धमकी देते रहते है तथा अनेक बार घर से निकालने का प्रयास कर चुके है तथा आये दिन अपीलांटगण व उनकी पुत्री के साथ मारपीट करते है जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण की पुत्री अनवी द्वारा जिला न्यायाधीश कोटा के यहां सम्पत्ति के विभाजन का दावा पेश कर रखा है क्योंकि अनवी रेस्पोडेन्ट की पौत्री है ओर इस नाते मकान पैतृक होने के नाते उसका इस मकान में हिस्सा बनता है, इस वाद में सहायक अभियंता केईडीएल विज्ञान नगर, कोटा को भी प्रतिवादी प्रतिवादी बनाया गया है । क्योंकि वह भी आये दिन अपीलांटगण की बिजली काटने को आमादा रहते है । उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय में लम्बित है उक्त वाद से बचने के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा झूंठे, मनगढंत तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टान्तों का आंकलन एवं विवेचन अपने निर्णय में नहीं करके माइंड अप्लाई किये बिना यंत्रवत तरीके से आक्षेपित निर्णय पारित करने में भयंकर भूल कारित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.12.2024 खारिज फरमाया जावें ।

5 रेस्पेडेन्टग एवं वकील रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 80 वर्षीय सीनियर सिटीजन है जो काफी वृद्व है जो अधिकतर बीमार रहता है एवं प्रार्थी रेस्पो0 ने अपने जीवन भर की स्वअर्जित आय से एक मकान वाके मकान नं0 4 एच 16 तलवण्डी कोटा खरीद किया था प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपनी वृद्व 75 वर्षीय पत्नी के साथ जीवन यापन कर रहा है । अप्रार्थी अपीलांट कम 1 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का पुत्र एवं अप्रार्थी अपीलांट कम 2 पुत्रवधु है जो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के उक्त मकान में साथ ही निवास करते है । अप्रार्थी अपीलांट कम 1 बडी कंपनी में नौकरी करता है एवं इस नोकरी से अप्रार्थी अपीलांट कम 1 की मासिक आय लगभग 60–70 हजार रूपये है जबकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व उसकी पत्नी अत्यधिक वृद्व एवं अधिकतर हारी बीमारी से ग्रसित होने के कारण कोई काम धन्धा करने में असमर्थ रहते है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एवं उसकी पत्नी के जीवन बसर करने का कोई साधन नहीं है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एवं पत्नी के इलाज कराने तक का खर्चा नहीं है । इसके बावजूद अप्रार्थीगण अपीलांट उसकी पत्नी के साथ मकान में निवास करने के बावजूद आए दिन लडाई झगडा कर प्रार्थी रेस्पो0 व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते है व उसकी पत्नी को नाजायज परेशान कर गाली गलोच एवं मारपीट करते है जिसके कारण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नी अपने मकान से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है । अप्रार्थीगण

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलांट, प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के मकान को हड़प कर अपने नाम करवाने पर आमादा है । अप्रार्थीगण अपीलांट के अत्याचारों से दुखी होकर पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को परिवाद दिया था एवं पुलिस थाने में भी कई बार परिवाद दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जहां से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6000/– भरण पोषण का एवं स्वअर्जित मकान के प्रथम व द्वितीय तल में निवास करने में कोई दखलंदाजी नहीं करने का आदेश पारित किया है । प्रार्थी रेस्पो0 अभी भी अपने स्वअर्जित मकान में नहीं रहकर दर दर की ठोकरें खा रहे है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पालना कराने एवं अपने मकान में रहने के आदेश प्रदान करावें ।

6 हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2024 के विरूद्व दिनांक 22.01.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में तथ्य अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट आई एल कम्पनी से रिटायर्ड है तथा रिटायरमेंट से मिलने वाली राशि भी रेस्पोडेन्ट के बैंक में जमा है व इसके अतिरिक्त उक्त मकान में 6 किरायेदार रहते है जिनसे लगभग 25000/– मासिक किराया रेस्पोडेन्ट को प्राप्त होता है । आगे यह भी कथन किया है कि अपीलांट के अतिरिक्त रेस्पो0 के अन्य दूसरा पुत्र पीयूष सिंह राठौड है जो कतर में इंजीनियर के रूप में 20 लाख रूपये के वेतन के रूप में कार्यरत है जिसे पक्षकर नहीं बनाने एवं रेस्पोडेन्ट भरण पोषण के लिए स्वयं सक्षम होने का तथ्य अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का कथन किया है । इसके विपरीत प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एवं अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया है कि उनकी बहु अपीलांट नं0 2 द्वारा उनके साथ मारपीट लड़ाई झगडा करते है तथा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व झूंठे आरोप लगाते है तथा जलील किया जाता है, अपने स्वअर्जित मकान से बेदखल किया हुआ है, तथा रेस्पोडेन्ट अपनी वृद्व पत्नि के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है ।

7 उभयपक्षों के प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हो रहा है कि अपीलांटगण जिस मकान में निवास करते है वह मकान रेस्पोडेन्ट का स्वअर्जित मकान है । रेस्पोडेन्ट काफी वृद्व होने से उनके पास कमाने एवं भरण पोषण का साधन नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांटगण का दायित्व बनता है कि वह रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण एवं हारी बीमारी में देखभाल करें तथा लड़ाई झगड़ा नहीं है तथा अपने मकान में निवास करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही आदेश पारित किया है कि –वे उपरोक्त मकान की तृतीय मंजील पर निवास करें तथा प्रथम एवं द्वितीय मंजिल पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के शांतिपूर्वक निवास उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करें तथा बतौर भरण पोषण 6000/– मासिक जरिये बैंक खाता दिया जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई दोष नहीं पाते है । अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है ।

8 परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.2024 अधिनियम की मंशा के अनुरूप होने से हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9 निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा